



मानव तस्करी

संदर्भ

मानव तस्करी दुनिया भर में एक गंभीर समस्या बनकर उभरी है। यह एक ऐसा अपराध है जिसमें लोगों को उनके शोषण के लिये खरीदा और बेचा जाता है। वर्ष 2010 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस घृणित अपराध के खिलाफ कार्रवाई करने के लिये अंतरराष्ट्रीय समुदाय को प्रोत्साहित करने हेतु 'मानव तस्करी से निपटने के लिये वैश्विक योजना' (The Global Plan of Action to Combat Trafficking in Persons) को अपनाया था।

संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय द्वारा जारी मानव तस्करी पर वैश्विक रिपोर्ट (Global Report on Trafficking in Persons) के अनुसार, राष्ट्र अब इस अपराध के प्रति जागरूक हो रहे हैं, पीड़ितों की पहचान कर रहे हैं और अधिक-से-अधिक तस्करों को सजा दे रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि महिलाएँ और लड़कियाँ मानव तस्करी से सर्वाधिक पीड़ित हैं। इनमें से अधिकांश की तस्करी यौन शोषण के लिये की जाती है।

हालाँकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 (1) और अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 के तहत भारत में मानव तस्करी प्रतिबन्धित है तथापि मानव तस्करी की जाँच के लिये सरकार अब एक व्यापक विधायक को फरि से पेश करने की योजना बना रही है। ज्ञातव्य है कि मानव तस्करी (निवारण, संरक्षण और पुनर्वास) विधायक, 2018 पछिले वर्ष लोकसभा द्वारा पारित किया गया था लेकिन यह विधायक 16वीं लोकसभा के विघटन के बाद समाप्त हो गया।

परिभाषा

संयुक्त राष्ट्र द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार, किसी व्यक्ति को डराकर, बलपूर्वक या दोषपूर्ण तरीके से कोई कार्य करवाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने या बंधक बनाकर रखने जैसे कृत्य तस्करी की श्रेणी में आते हैं।

वर्तमान स्थिति

मानव तस्करी पर वैश्विक रिपोर्ट (Global Report on Trafficking in Persons) अपनी तरह की पहली रिपोर्ट है, जो मानव तस्करी को लेकर वैश्विक स्तर पर व्यापक मूल्यांकन प्रदान करती है। इसमें 155 देशों से प्राप्त आँकड़े शामिल हैं जिसमें मानव तस्करी के पैटर्न का अवलोकन, प्रतिक्रिया में उठाए गए कानूनी कदम एवं व्यक्तियों, पीड़ितों और अभियोजन संबंधी देश-वर्षों में तस्करी के मामलों की जानकारी है।



30

रिपोर्ट के अनुसार

- मानव तस्करी (79%) का सबसे आम रूप यौन शोषण है। यौन शोषण की शिकार मुख्य रूप से महिलाएँ और लड़कियाँ हैं। हैरानी की बात यह है कि 30% देशों में, जो कि तस्करी के जेंडर बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, महिला तस्करी का अनुपात सबसे अधिक है। कुछ क्षेत्रों में महिलाएँ ही महिलाओं एवं लड़कियों की तस्करी करती हैं।
- मानव तस्करी का दूसरा सबसे आम रूप बलात् श्रम (18%) है। दुनिया भर में तस्करी के शिकार लोगों में से लगभग 20% बच्चे हैं। अफ्रीका और मेकांग क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मुख्य तौर पर (पश्चिम अफ्रीका के कुछ हिस्सों में 100% तक) बच्चों की ही तस्करी की जाती है।
- ऐसी आम राय है कि तस्करी द्वारा लोगों को एक देश से दूसरे देश ले जाया जाता है लेकिन ज्यादातर शोषण के मामलों में घरेलू ही पाए जाते हैं। आँकड़ों के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय या घरेलू तस्करी मानव तस्करी का प्रमुख रूप है।

आंकड़े

- वर्ष 2019 की रपॉर्ट में तस्करी की राष्ट्रीय प्रकृति पर प्रकाश डाला गया है जिसके अनुसार 60% मामलों में पीड़ितों को उनके देश की सीमाओं से बाहर ले जाने के बजाय देश के अंदर ही उनकी तस्करी की जाती है।
- पश्चिमि और मध्य यूरोप, मध्य-पूर्व तथा कुछ पूर्व एशियाई देशों को छोड़कर दुनिया के सभी क्षेत्रों में घरेलू स्तर पर तस्करी की समस्या ज़्यादा प्रबल है।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के आँकड़ों के अनुसार, यौन उत्पीड़न हेतु तस्करी देश की सीमाओं से बाहर किये जाने की संभावना होती है, जबकि बलात् श्रम के मामले में लोगों की तस्करी सामान्यतः अपने ही देश में की जाती है।
- महिलाएँ और लड़कियाँ सबसे अधिक असुरक्षित हैं। 90% महिलाओं एवं लड़कियों की तस्करी यौन शोषण के लिये की जाती है।
- जानकारी के अनुसार दक्षिण एशिया में 85% मानव तस्करी बलात् श्रम के लिये की जाती है।
- भारत में सर्वाधिक प्रभावित राज्य पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, असम हैं।



वर्ष 2000 में अधिनियमित अमेरिकी कानून 'तस्करी पीड़ित शिकार संरक्षण अधिनियम' के आधार पर देशों को तीन वर्गों (टयि-1, टयि-2, टयि-3) में वर्गीकृत किया जाता है।

यह वर्गीकरण देश में तस्करी की समस्या के स्तर पर आधारित न होकर मानव तस्करी के उन्मूलन के लिये न्यूनतम मानकों को पूरा करने के लिये प्रयासों पर आधारित है। वर्गीकरण के आधार पर यू. एस. टयि-1 में शामिल है।

मानव तस्करी में भारत की स्थिति

- भारत को टयि-2 श्रेणी में रखा गया है।
- रपॉर्ट के अनुसार, भारत सरकार तस्करी के उन्मूलन के लिये न्यूनतम मानकों को पूरा नहीं कर पाई है। हालाँकि पिछली रपॉर्ट की तुलना में इस बार भारत की स्थिति बेहतर है।
- रपॉर्ट से प्राप्त जानकारी के बाद सरकार ने बलात् श्रम और यौन अपराध के लिये की जाने वाली तस्करी के कुछ मामलों में कार्रवाई की है फरि भी सरकार द्वारा संचालित और वित्तपोषित आश्रय-घरों में बलात् श्रम और यौन अपराध रोकने में सरकार की वफिलता एक गंभीर समस्या बनी हुई है।
- रपॉर्ट में भारत में तस्करी से संबंधित दंड संहिता की धारा 370 में संशोधन किये जाने की सफिरशि की गई है।
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, वर्ष 2016 में भारत में मानव तस्करी के 8000 से ज़्यादा मामले सामने आए। वर्ष 2015 में मानव तस्करी के 6877 मामले सामने आए थे।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का गठन जनवरी, 1986 में नमिनलखित उद्देश्य की पूर्ता हेतु किया गया:

- अपराध एवं अपराधियों की सूचना रखना, जिसमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय अपराध एवं अपराधियों पर सूचना भी शामिल है।
- राष्ट्रीय स्तर पर अपराध के आँकड़ों का संग्रह एवं संसाधन करना।
- अपराधियों के पुनर्वास, उनकी रमांड, पैरोल, समय से पहले र्हाई आदि कार्यों के लिये द संस्थाओं से डाटा प्राप्त करना एवं आपूर्तिकराना।
- राज्य अपराध रिकार्ड ब्यूरो की कार्य प्रणाली का समन्वयन, मार्गदर्शन एवं उसे सहायता करना।
- अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के कार्मिकों को प्रशिक्षण सुवधिएँ प्रदान करना एवं अपराध रिकार्ड ब्यूरो का मूल्यांकन, विकास एवं आधुनिकीकरण करना।
- केंद्रीय पुलिस संगठनों के लिये कार्यकारणी एवं कंप्यूटर आधारित प्रणाली को विकसित करना एवं कंप्यूटरीकरण के लिये उनके डाटा संसाधन एवं

प्रशिक्षण हेतु सुवधिएँ प्रदान करना ।

- वदेशी अपराधियों के फगिर प्रति रकार्ड जसिमें दोष-सदिध व्यक्तियों के फगिर प्रति रकार्ड भी शामिल हैं, के राष्ट्रीय संग्रहक के रुप में कार्य करना ।
- फगिर प्रति के द्वारा अंतर-राज्यीय अपराधियों को खोजने में सहायता करना ।
- फगिर प्रति एवं फुट प्रति से संबंधित मामलों पर केंद्रीय एवं राज्य सरकारों को सलाह देना, फगिर प्रति विशेषज्ञों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना ।

मानव तस्करी के कारण

- गरीबी और अशिक्षा
- बंधुआ मज़दूरी
- देह व्यापार
- सामाजिक असमानता
- कषेत्रीय लैंगिक असंतुलन
- बेहतर जीवन की लालसा
- सामाजिक सुरक्षा की चिंता
- महानगरों में घरेलू कामों के लिये लड़कियों की तस्करी
- चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिये बच्चों की तस्करी

तस्करी से नपिटने के प्रयास

- वर्ष 2000 में पालेरमो प्रोटोकॉल लाया गया जो तस्करी से नपिटने के लिये एक अंतरराष्ट्रीय प्रयास है ।
- हालाँकि घरेलू स्तर पर की जाने वाली तस्करी से नपिटने के लिये तस्करों पर मुकदमा चलाने और इनके चंगुल से बचाए गए लोगों की देखभाल करने हेतु कानूनी ढाँचा तैयार करने के संदर्भ में देशों द्वारा विशेष रूप से अधिक प्रयास किये जाने की ज़रूरत है ।
- घरेलू स्तर पर तस्करी से नपिटने के लिये राजनीतिक प्रयासों के साथ-साथ स्थानीय नविसधियों तथा अन्य कषेत्रों में काम करने वाले लोगों का भी सहयोग अपेक्षित है ।

मानव तस्करी (रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास) वधियेक, 2018

यह वधियेक सभी प्रकार की मानव तस्करी की जाँच, उसके नविवरण, संरक्षण और तस्करी के पीड़ितों के पुनर्वास के लिये कानून बनाता है ।

वधियेक ज़िला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जाँच तथा पुनर्वास समितियों की स्थापना करता है । पीड़ितों को छुड़ाने और मानव तस्करी के मामलों की जाँच करने के लिये एंटी ट्रेफिकिंग यूनिट्स की स्थापना की जाएगी । पुनर्वास समितियाँ छुड़ाए गए पीड़ितों की देखभाल और पुनर्वास करेंगी ।

वधियेक कुछ उद्देश्यों के लिये की गई तस्करी को तस्करी के 'गंभीर' (एग्रेवेटेड) प्रकार मानता है । इनमें बलात् शर्म करवाने, बच्चे पैदा करने, भीख मंगवाने के लिये तस्करी करना शामिल है । साथ ही अगर किसी व्यक्ती में जलदी यौन परपिक्वता (सेक्सुअल मेच्योरिटी) लाने के लिये उसकी तस्करी की जाती है, तो ऐसा मामला भी गंभीर मामला माना जाएगा । गंभीर तस्करी के मामले में अधिक कठोर दंड दिया जाएगा ।

वधियेक तस्करी से संबंधित अनेक अपराधों के लिये सज़ा का प्रावधान करता है । अधिकतर मामलों में मौजूदा कानूनों के अंतर्गत दी जाने वाली सज़ा से अधिक सज़ा नरिधारित की गई है ।

प्रमुख विशेषताएँ

वधियेक के अनुसार, उसके प्रावधानों को दूसरे कानूनों के संयोजन से पढ़ा जाएगा और उसके प्रावधान तभी लागू होंगे, जब किसी प्रकार की असंगति होगी । वधियेक की प्रमुख विशेषताओं में नमिनलखिति बदि शामिल हैं:

- तस्करी की परिभाषा: बलपूर्वक तरीकों से, शोषण के लिये (i) किसी व्यक्ती की भरती, (ii) उसका परविहन, (iii) उसे रखना, (iv) उसे ट्रांसफर करना, या (v) उसकी प्रापत्तितस्करी है । इन तरीकों में धमकी देना, बल का प्रयोग करना, अपहरण करना, धोखाधड़ी और चालाकी करना, ताकत का दुरुपयोग करना या लालच देना शामिल है । उत्पीड़न में शारीरिक या यौन उत्पीड़न, दास बनाना या ज़बरन शरीर के अंग नकालना शामिल है ।
- गंभीर प्रकार की तस्करी: कुछ विशेष उद्देश्यों से की गई तस्करी को तस्करी का 'गंभीर' प्रकार कहता है । इनमें: (i) बलात् शर्म करवाने, (ii) बच्चे पैदा करने, (iii) कम उम्र में यौन परपिक्व करने के लिये रासायनिक पदार्थ या हारमोन्स देने या (iv) भीख मंगवाने के लिये तस्करी शामिल है । गंभीर कसिम की तस्करी के लिये सज़ा सामान्य तस्करी से अधिक है ।
- तस्करी पीड़ितों को छुड़ाना और उनकी जाँच: वधियेक तस्करी के शकार लोगों को छुड़ाने और अपराधों की जाँच के लिये ज़िला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर वभिनिन अथॉरिटीज़ की स्थापना करता है ।

- ज़िला स्तर पर राज्य सरकार एंटी ट्रैफिकिंग पुलिस अधिकारियों को नयिकृत करेगी और लोगों को छुड़ाने तथा अपराधों की जाँच करने के लिये एक या अधिक ज़िलों में एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट्स की स्थापना करेगी। छुड़ाए गए लोगों को मजस्ट्रेट या बाल कल्याण समिति (अगर पीड़ित बच्चा है) के सामने पेश किया जाएगा। अथॉरिटीज़ से अपेक्षा की जाएगी कि वे अपराध की जाँच एफआईआर दर्ज होने की तथिसे 90 दिनों के अंदर पूरी करें। ज़िला पुलिस नोडल अधिकारी ज़िला प्रशासन के कार्यों का निरीक्षण करेगा, जिसे राज्य सरकार द्वारा नयिकृत किया जाएगा।
- राज्य सरकार, राज्य स्तर पर भी एक नोडल अधिकारी को नयिकृत करेगी, जिसके नमिनलखित कार्य होंगे: (i) राज्य में मानव तस्करी को रोकना, (ii) ज़िला स्तरीय एंटी ट्रैफिकिंग अधिकारियों के कामकाज का निरीक्षण करना और (iii) राज्यों के भीतर तथा बाहर पीड़ितों, गवाहों, सबूतों और अपराधियों के ट्रांसफर हेतु समन्वय करना, एवं उनका निरीक्षण करना। ज़िला पुलिस नोडल अधिकारी, राज्य नोडल अधिकारी को रिपोर्ट करेगा।
- राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार राष्ट्रीय एंटी ट्रैफिकिंग ब्यूरो बनाएगी जो कठिनाई या उससे अधिक राज्यों से आने वाले मामलों की जाँच कर सकती है।
- संरक्षण और पुनर्वास: वधियेक अपेक्षा करता है कि पीड़ितों को शरण, भोजन, काउंसिलिंग और मेडिकल सुविधाएँ प्रदान करने के लिये केंद्र या राज्य सरकार संरक्षण गृह बनाए। इसके अतिरिक्त केंद्र या राज्य सरकार प्रत्येक ज़िले में पुनर्वास गृह भी बनाए ताकि लंबे समय के लिये पीड़ितों का पुनर्वास किया जा सके। वधियेक केंद्र और राज्य सरकारों से यह अपेक्षा भी करता है कि वे पीड़ितों के पुनर्वास के लिये ज़िला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एंटी ट्रैफिकिंग कमेटीयों बनाए।
- ज़िला स्तर की एंटी ट्रैफिकिंग अथॉरिटीज़ जब किसी व्यक्ति को छुड़ाए तो उनसे यह अपेक्षा की जाएगी कि वे बचाव अभियान के बारे में ज़िला स्तरीय एंटी ट्रैफिकिंग कमेटी को सूचना देंगी। इसके बाद कमेटी छुड़ाए गए व्यक्ति को अंतरिम राहत और पुनर्वास सेवाएँ प्रदान करेगी। ज़िला कमेटी नमिनलखित कार्य भी करेगी: (i) पीड़ितों का संरक्षण, उनका पुनर्वास और बहाली सुनिश्चित करने के लिये संरक्षण तथा पुनर्वास गृहों को निर्देश जारी करना एवं (ii) अगर छुड़ाए गए व्यक्तियों से बंधुआ मजदूरी कराई जा रही हो, तो उनके अंतर-राज्यीय प्रत्यर्पण को आसान बनाना।
- राज्य स्तर पर एंटी ट्रैफिकिंग कमेटी नमिनलखित के लिये जमिंदार होगी: (i) करमचारियों के प्रशिक्षण और संवेदीकरण (सेंसटाइजेशन) का प्रबंधन और (ii) अपराधों, विशेषकर ऐसे अपराधों को रोकने में मदद करना और इनपुट्स देना, जिनका असर अंतर-राज्यीय हो या जिनकी वशिष्टता संगठित अपराध जैसी हो।
- राष्ट्रीय स्तर पर एंटी ट्रैफिकिंग कमेटी की नमिनलखित जमिंदारियों होंगी: (i) संबंधित मंत्रालयों और सांघिक निकायों के ज़रिये पीड़ितों के लिये राहत और पुनर्वास सुनिश्चित करना, (ii) संबंधित सरकार और राज्य एवं ज़िला एंटी ट्रैफिकिंग कमेटीयों से सेवाओं और कामकाज की गुणवत्ता पर रिपोर्ट लेना और (iii) पुनर्वास फंड की नगिरानी करना।
- पीड़ितों का पुनर्वास आरोपी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू होने या उस कार्यवाही के परिणाम पर निर्भर नहीं करेगा। केंद्र सरकार एक पुनर्वास फंड भी बनाएगी जिसे संरक्षण एवं पुनर्वास गृह बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा।
- बचाव उपाय: ज़िला और राज्य स्तरीय एंटी ट्रैफिकिंग कमेटीयों ऐसे उपाय करेंगी जिनसे अति संवेदनशील लोगों को सुरक्षा मिले और उन्हें तस्करी का शिकार होने से रोका जा सके। इन उपायों में नमिनलखित शामिल हैं: (i) अति संवेदनशील समुदायों के लिये जीविकोपार्जन और शैक्षणिक कार्यक्रम चलाना, (ii) तस्करी को रोकने के लिये विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यान्वयन को आसान बनाना तथा (iii) तस्करी के नविरण को सुनिश्चित करने के लिये कानून एवं व्यवस्था संबंधी फरेमवर्क बनाना।
- वशिष अदालतें: वधियेक कहता है कि प्रत्येक ज़िले में नरिदषिट अदालतें बनाई जाएँ जो कि तस्करी के मामलों में एक वर्ष के अंदर ट्रायल पूरा करने का प्रयास करें।
- सज़ा: वधियेक विभिन्न अपराधों के लिये सज़ा नरिदषिट करता है। तालिका 2 में इनका वविरण दिया गया है। सभी अपराध संज्ञेय (यानी पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को बनि वारंट के गरिफ्तार कर सकता है) और गैर-जमानती हैं। उल्लेखनीय है कि अगर कोई व्यक्ति इस वधियेक और किसी दूसरे कानून, दोनों के अंतर्गत दोषी पाया जाता है तो जिस कानून के अंतर्गत अधिक बड़ी सज़ा नरिदषिट है, वही लागू होगा।
- कुरकी और ज़बती: वधियेक उस संपत्ति की कुरकी करने का प्रावधान करता है, जहाँ अपराध होने की आशंका हो। दोष सिद्ध होने पर उस संपत्ति को सरकार जब्त कर लेगी। सरकार उसे बेच सकती है और संपत्ति की बकिरी से प्राप्त राशिको पुनर्वास फंड में जमा कर दिया जाएगा।

संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय

(United Nations Office on Drug and Crime- UNODC)

- UNODC की स्थापना 1997 में संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ नयित्रण कार्यक्रम और अंतरराष्ट्रीय अपराध रोकथाम केन्द्र को मिलाकर संयुक्त राष्ट्र सुधारों के तहत की गई थी।
- कई समझौतों की मदद से UNODC सदस्य देशों को अवैध मादक पदार्थों, अपराध एवं आतंकवाद के मुद्दों का समाधान देने में मदद करता है।
- UNODC का दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली, भारत में स्थित है।

फोकस के क्षेत्र

- मादक पदार्थों के सेवन की रोकथाम।
- उपचार और देखभाल।
- मादक पदार्थों का सेवन करने वालों और कैदियों के बीच एचआईवी की रोकथाम।
- मानव तस्करी रोकथाम।
- ड्रग लॉ इनफोर्समेंट एंड प्रीकर्स कंट्रोल।
- भ्रष्टाचार नयित्रण।

अभ्यास प्रश्न: मानव तस्करी के विभिन्न रूपों एवं इससे निपटने के उपायों की चर्चा करें।

